अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2007

क्रमांक – 821/म.प्र.विनिआ/2007. संसद द्वारा अधिनियमित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(1), सहपठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान (सबसिडी) भुगतान की रीति विनिर्दिष्ट करने हेतु निम्न विनियम बनाता है –

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान अर्थात् सबसिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007 (जी–32, वर्ष 2007)

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** – (1) यह विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान अर्थात सबसिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007(जी–32, वर्ष 2007) कहा जावेगा।

(2) यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में इसके प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगा ।

(3) यह विनियम, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा देय राज्यानुदान (सबसिडी), यदि कोई हो, पर लागू होगा ।

2. **परिभाषा** – (1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) एवं उसके अनुवर्ती संशोधन ।

(2) ''हितग्राही'' से अभिप्रेत है उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी जिसे अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान प्रदान किया जाता है ।

(3) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।

(4) ''व्यक्ति'' शब्द में सम्मिलित होंगे कोई कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा संस्था अथवा व्यक्तियों का निकाय जो निगमित अथवा अनिगमित हो, अथवा कृत्रिम विधिक व्यक्ति हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए ।

(5) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियम के शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगे जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में इनके लिये परिभाषित हैं ।

3. **विनियम का प्रयोजन** – इस विनियम का प्रयोजन राज्यानुदान, इसकी संगणना की रीति, वह रीति जिसके अनुसार राज्य शासन द्वारा इसका भुगतान किया जावेगा, वह व्यक्ति जो राज्यानुदान प्राप्ति की पात्रता रखता हो तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा राज्यानुदान की प्राप्ति में विलंब/अप्राप्ति के परिणामों को परिभाषित करना है ।

4. **राज्यानुदान एवं इसकी संगणना की रीति** – (1) आयोग द्वारा धारा 62 के अंतर्गत यथा अवधारित टैरिफ में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित परित्याग या छूट या कमी से प्रभावित किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये किसी प्रत्यक्ष अनुदान से राज्यानुदान की रचना होगी ।

(2) राज्य सरकार, यदि वह राज्यानुदान प्रदान करना चाहती हो, तो वह आयोग तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उसके निर्णय के बारे में इस विनियम की कण्डिका 1.12 में निर्दिष्ट अनुसार सूचित करेगी ।

(3) राज्य सरकार की आयोग को निर्णय से अवगत कराये जाने संबंधी संसूचना, स्पष्ट रूप से हितग्राही के वैशिष्ट्यों, राज्यानुदान के माध्यम से प्रस्तावित अनुदानित की जाने वाली खपत मात्रा तथा प्रदान किये जाने वाला प्रति यूनिट अनुदान, चिन्हित होगा । संसूचना के प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कुल वित्तीय सहायता को प्राक्कलित करेंगे तथा इसे आयोग तथा राज्य सरकार को अवगत करेगें ।

5. **राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान भुगतान की रीति** – (1) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को राज्यानुदान प्रदान किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति को राज्यानुदान की मात्रा प्रति त्रैमास अग्रिम रूप से राज्यानुदान का अनुदान (ग्रांट) देय होगा । अनुज्ञप्तिधारी आयोग को एक त्रैमासिक आधार पर दावा किये गये राज्यानुदान तथा शासन द्वारा प्रति त्रैमास के अन्त में जारी की गई राज्यानुदान की मात्रा का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी/राज्यानुदान के प्रदान द्वारा प्रभावित व्यक्ति आयोग तथा राज्य शासन को उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को विक्रय की मात्रा, जिनके लिये राज्यानुदान प्रदान किया जा रहा है तथा वे राज्य शासन से अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई राज्यानुदान की राशि के संबंध में जानकारी, प्रदान करेंगे ।

(4) राज्य शासन प्रभावित व्यक्ति को राज्यानुदान नगद में अग्रिम रूप से त्रैमास जिस हेतु राज्यानुदान स्वीकृत किया गया है, प्रदान करेगा । यदि राज्य शासन प्रभावित व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी को किसी बकाया राशि अथवा राज्य शासन द्वारा देय राशियों के माध्यम से समायोजित करना चाहे तो ऐसी दशा में आयोग ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा तथा राज्य शासन के विभागों से अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्ति योग्य राशियां को ध्यान में रखेगा ।

6. **राज्यानुदान का भुगतान न किये जाने, आंशिक भुगतान किये जाने अथवा अधिक भुगतान किये जाने के परिणाम** – (1) टैरिफ में राज्यानुदान के रूप में समायोजन उस अनुपात की सीमा के अन्तर्गत किया जावेगा जो राज्य शासन से किसी व्यक्ति की कुल आवश्यकता हेतु प्राप्त की जाती है ।

बशर्तें यदि शासन से राज्यानुदान बिल जारी किये जाने से पूर्व प्राक्कलन के अनुसार प्राप्त न हो तो प्रभावित व्यक्ति देयकों की प्रस्तुति आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ दरों के अनुसार करेगा।

(2) प्रभावित व्यक्ति, उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की श्रेणी को देयक प्रस्तुत करते समय, प्रत्येक देयक में निम्नानुसार अंकित करेगा (अ) आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ दर के अनुसार देय राशि; (ब) राज्य शासन द्वारा भुगतान किये गये राज्यानुदान की राशि तथा (स) हितग्राही द्वारा देयक अवधि हेतु शुद्ध देय राशि ।

(3) ऐसे प्रकरण में, जहां कि राज्यानुदान का भुगतान आवश्यकता/प्राक्कलन से अधिक किया जावे, आधिक्य राशि का समायोजन आगामी त्रैमास में किया जावेगा ।

7. **संशोधन के अधिकार** – आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़, बदलाव, परिवर्तन, सुधार अथवा संशोधन कर सकेगा ।

8. **व्यावृति** – (1) इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

(2) इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

(3) इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान अर्थात् सबसिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007 (जी–32, वर्ष 2007) विनियम 2005 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में की गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव.